

रसीद नम्बर/दिनांक

कार्यालय तहसीलदार, कसया, जनपद - कुशीनगर, (उ०प्र०)

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र

दिनांक : 06/01/2012

प्रमाण पत्र क्रमांक : 59312300074

लेखपाल/राजस्व निरीक्षक

कसया

की जांच आख्या दिनांक

06/01/2012

के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु०

दुर्गेश यादव

पुत्र

राजबल्लभ यादव

निवासी/ग्राम

मठिया वि० माधोपुर

परगना

सि०जो०

तहसील

कसया

नगर

कसया

जनपद

कुशीनगर

राज्य उत्तर प्रदेश की

अहिर

पिछड़ी जाति के व्यक्ति है। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची - एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि

दुर्गेश यादव

पूर्वोक्त अधिनियम 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-2 (जैसा कि उ०प्र० लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातिया तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2002 कार्मिक अनुभाग-2 संख्या 22/16/92 टी०सी०-111 लखनऊ दिनांक 20 अक्टूबर 2008 के प्रकीर्ण अधिसूचना द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है।

दुर्गेश यादव

के माता पिता की निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिये

सकल वार्षिक आय पाच लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम 1957 में तथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

ए०बि०लि०

तहसील-कसया

जनपद-कुशीनगर



तहसीलदार

तहसील-कसया

जनपद-कुशीनगर

यह प्रमाणपत्र वेबसाइट <http://bor.up.nic.in> पर इसका प्रमाणित किया जा सकता है।